

पत्र संख्या-कारा/भवन-44/2013.....1...287  
बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,  
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

राजीव वर्मा,  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०),  
गृह विभाग (कारा)।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक०),  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-२५/०५/२०१७

विषय:- राज्य योजना वित्तीय वर्ष-2016-17 अन्तर्गत राज्य की विभिन्न 08 काराओं में ड्रैगन लाईट, भेपर लाईट एवं एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट के क्रय हेतु ₹13,38,000 (तेरह लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र) की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना वित्तीय वर्ष-2016-17 अन्तर्गत राज्य की विभिन्न 08 काराओं में ड्रैगन लाईट, भेपर लाईट एवं एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट के क्रय हेतु ₹13,38,000 (तेरह लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र) की लागत पर, वित्त विभाग के संकल्प पत्र संख्या-96वि०(2) दिनांक-03.01.2008 की कंडिका 4(क) के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत दी जाती है :-

क्र०सं०	काराओं का नाम	मद का नाम	राशि
1	शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर,	भेपर लाईट	3,88,000
		ड्रैगन लाईट	95,000
2	मंडल कारा, लखीसराय	ड्रैगन लाईट	70,000
3	केन्द्रीय कारा, बक्सर	ड्रैगन लाईट एवं LED स्ट्रीट लाईट	1,50,000
4	मंडल कारा, छपरा	ड्रैगन लाईट	95,000
5	मंडल कारा, सिवान	ड्रैगन लाईट	50,000
6	मंडल कारा, मुंगेर	ड्रैगन लाईट	40,000
		भेपर लाईट	90,000
7	मंडल कारा, कटिहार	ड्रैगन लाईट	1,80,000
8	मंडल कारा, बेतिया	ड्रैगन लाईट	1,50,000
		भेपर लाईट	30,000
		कुल राशि	13,38,000

(तेरह लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र)

2. उपरोक्त स्वीकृति राज्य योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, मांग संख्या-22, उपशीर्ष-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P4070000520101 के अंतर्गत विषय शीर्ष-52 01-मशीनें एवं उपस्कर मद के अधीन दी गई है।

3. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित काराधीक्षक होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार की जाएगी।

4. संबंधित अधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि वे बिहार वित्त नियमावली-2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपरोक्त सामग्रियों का क्रय एवं अधिष्ठापन सुनिश्चित करेंगे।

5. उक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा संचिका संख्या-कारा/भवन-44/2013 के पृ0-06/टि0 पर दिनांक-18.03.2017 को अनुमोदन दिया गया है।


6. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-कारा/भवन-44/2013 के पृ0-08/टि0 पर दिनांक-21.03.2017 को प्राप्त है।

7. योजना को ससमय कार्यान्वित कराने का दायित्व संबंधित काराधीक्षकों का होगा, जो योजना को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराकर प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार को प्रतिवेदित करेंगे।

विश्वासभाजन


ज्ञापांक:- कारा/भवन-44/2013.....1287


प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अधीक्षक, केन्द्रीय, मंडल एवं उपकारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)  
पटना, दिनांक-21/3/2017

ज्ञापांक:- कारा/भवन-44/2013.....1287

प्रतिलिपि:-संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)  
पटना, दिनांक-21/3/2017

  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)